कार्यालय, प्राचार्य शासकीय आदर्श आवासीय कन्या महाविद्यालय सुकमा, जिला सुकमा (छ.ग.)

सुकमा, दिनांक 25/07/2023

क्रमांक / 146 /स्था०/2023

अतिथि व्याख्याता आमंत्रण सूचना

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक/ 504/126/आउशि/राज.स्था./2023 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 10/07/2023 के परिपालन में शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु अध्यापन व्यवस्था के लिए निम्नलिखित विषयों में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरूध्द अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र दिनांक–05/08/2023 सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/कोरियर द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर प्राचार्य, शासकीय आदर्श आवासीय कन्या महाविद्यालय सुकमा, जिला–सुकमा (छ.ग.), पिनः 494111 के पते में जमा कर सकते हैं। ईमेल या अन्य ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

रिक्त पदों का विवरणः–

क्रमांक	विषय	रिक्त स्थान	रिमार्क
1	राजनीति विज्ञान	1	सहायक प्राध्यापक पद के विरूध्द

यह व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी–

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा निर्धारित योग्यताएँ मान्य होंगी तथा उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा।

(2) प्रति व्याख्यान (45 मिनट) रूपये 300/– जो कि प्रतिदिन अधिकतम रूपये 1200/– तथा प्रतिमाह अधिकतम 31,200/– की सीलिंग के अधीन होगा।

(3) अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएँ भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगी और ना ही वे अधिमानक बर्ताव के हकदार होंगे।

(4) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे एवं वे लोकसेवक कर विहित परिभाषा के अंतर्गत लोकसेवक नहीं माने जाएंगे।

(5) यह एक वैकल्पिक एवं पूर्णतः अस्थाई व्यवस्था है। शासन द्वारा जिन विषयों में नियमित प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण से पदस्थापना की जाएगी, उन विषयों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जाएगी।

(6) चयनित उम्मीदवार के विरूध्द पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित ना हो तथा वह किसी अन्य शासकीय/अशासकीय/अर्धशासकीय सेवा में ना हो, इसके साथ ही किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से नियमित डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स में पंजीकृत न हो, इस बाबत् कार्यभार ग्रहण करते समय शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Scanned with CamScanner

(7) अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नहीं कर सकते हैं।

(8) अतिथि व्याख्याता का कार्य व्यवहार एवं शिक्षण शैली संतोषप्रद नहीं होने पर/बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने पर/ अनुशासनहीनता पर/ महाविद्यालय में आना आवश्यकता नहीं होने पर उनकी सेवाएँ कभी भी समाप्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

(9) यह व्यवस्था केवल सत्र 2023–24 हेतु शासन के निर्देशानुसार मान्य रहेगी।

(10) आवेदन पत्र में महाविद्यालय का पत्र क्रमांक एवं दिनांक का संदर्भ देने के साथ ही अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची एवं अन्य प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(11) लिफाफे के ऊपर अतिथि व्याख्याता 2023–24 विषय..................................अवश्य अंकित करेंगे।

प्राचार्य
नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय सुकमा
जिला–सुकमा (छ.ग.)
शासकीय आदर्श आवासीय कन्या महाविद्यालय
सुकमा, जिला सुकमा (छ.ग.)

पृ. क्र./ /स्था/2023 सुकमा, दिनांक 25/07/2023

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।

2. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, जगदलपुर (छ.ग.)।

प्राचार्य
शासकीय आदर्श आवासीय कन्या महाविद्यालय
सुकमा, जिला सुकमा (छ.ग.)

Scanned with CamScanner